

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: रतन लाल योगी, आर.ए.एस.

विविध राजस्व प्रकरण संख्या 4/2015

आम जनता ग्राम बाटौदा जरिये,

1. अम्बा लाल पुत्र बंशी लाल,
2. श्याम लाल पुत्र रामधन,
3. रामचरण पुत्र ऊँकार,
4. प्रहलाद पुत्र बल्या,
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र अर्जुन,
6. श्याम लाल पुत्र नानग्या
7. श्रीया पुत्र रामनाथ,
8. सीताराम पुत्र नानग्या एवं
9. रामअवतार पुत्र भौर्या

सभी जाति माली, निवासी बाटौदा, तहसील बामनवास, जिला
सवाई माधोपुर,

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामसहाय,
2. घनश्याम पुत्र रामसहाय,
3. राजमल पुत्र रामसहाय,
4. दीनदयाल पुत्र रामसहाय एवं
5. गुलाब पत्नी रामसहाय

सभी जाति सुनार, निवासी बाटौदा, तहसील बामनवास, जिला
सवाई माधोपुर,

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) (1) आर.टी.

एक्ट, रास्ते में से अतिक्रमण हटाये जाने एवं

रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किए जाने बाबत


उपसुब्ब अधिकारी
बामनवास

आदेश

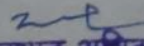
दिनांक: 03-6-2022

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम बाटीदा के निवासी हैं और बाटीदा गांव के निवासियों द्वारा उनकी ओर से न्यायालय में कार्यवाही किए जाने हेतु प्रार्थीगण को अधिकृत किया हुआ है, प्रार्थीगण द्वारा आम जनता ग्राम बाटीदा के हितार्थ ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने में उनका व्यक्तिगत कोई हित निहित नहीं है ।

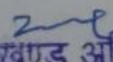
प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया गया है कि ग्राम बाटीदा में आराजी खसरा नम्बर 1074 रकबा 8 एयर गैरमुमकिन शमशान घाट है, जिसमें मालियों व अन्य लोगों के शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उक्त शमशान घाट कृषि भूमियों के मध्य स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 1072 को गैरमुमकिन रास्ता होना बताते हुए प्रार्थीगण ने कहा है कि उक्त रास्ता गांव की आबादियों को जोड़ता है और शमशान घाट की ओर आने जाने का रास्ता रहा है । उक्त खसरा नम्बर 1072 में से खसरा नम्बर 1075 में होकर गैरमुमकिन शमशान 1074 तक जाता है, उक्त रास्ता करीब 15 फिट चौड़ा रहा है, मौके पर भी उक्त रास्ता शमशान में आने जाने के लिए आम जनता के उपयोग में लिया जाता रहा है । माली व अन्य समाज के लोगों को शमशान भूमि (खसरा नम्बर 1074) में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1075 में होकर ही जाना पड़ता है, आम जनता निर्बाध

रूप से खसरा नम्बर 1073 के सहारे होकर मुताबिक नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1075 में होकर जमाने बुजुर्गान से आते जाते व उपयोग में लेते रहे हैं, दाह संस्कार आदि के समय प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ी, कण्डे आदि के लिए विविध प्रकार के वाहन भी उक्त खसरा नम्बर 1075 में ही होकर लाते ले जाते रहे हैं, दिनांक 27.10.2014 की रात्री को अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1072 के सहारे 1075 में प्रवेश कर जे.सी.डी. के माध्यम से डौली बनाकर आम जनता का उक्त रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण आम जनता को भारी परेशानी है और उक्त रास्ते को अविलम्ब खुलवाया जाना अति आवश्यक है तथा रिकॉर्ड में उक्त रास्ते का इन्द्राज किया जाना न्यायोचित व कानूनन आवश्यक है तथा अप्रार्थीगण को नजरी नक्शे में दर्शित आम रास्ते में व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु पाबंद किया जाना भी आवश्यक है । अनुतोष में निवेदन किया गया है कि तहसीलदार, बामनवास से रिपोर्ट मंगवाई जाकर नजरी नक्शे में प्रदर्शित बरंग लाल भाग खसरा नम्बर 1075 में किए गए अवरोध को हटवाया जाकर रास्ता 20 फिट चौड़ा का रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शे में अंकन किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे उक्त रास्ते में आवागमन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न करें और वहां पर अतिक्रमण न करें ।

अप्रार्थीगण की ओर से उक्त आशय के प्रार्थना पत्र का जवाब न दिया जाकर अलग से एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7


उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

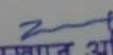
नियम 11 सी.पी.सी. इन तथ्यों का पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र में वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है तथा मनमाने तरीके से तथ्यों को अंकित किया गया है । आगे कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ने एक ओर तो शमशान भूमि को माली समाज व अन्य समाज के लोगों के शवों के दाह संस्कार के उपयोग में लिए जाने का कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, जबकि प्रार्थना पत्र में माली समाज के अलावा अन्य लोगों के समाज का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया है, माली समाज के व्यक्तियों द्वारा आर. टी. एक्ट की धारा 251 (क) (1) के प्रावधानों के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार केवल खातेदार काश्तकार को ही प्रदत्त किया गया है, आम जनता को इस प्रावधान के तहत कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है, इस प्रावधान के तहत एक खातेदार को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य खातेदार की भूमि का उपयोग करने की सुविधा दी गई है, शमशान भूमि आदि में आने जाने के लिए किसी दीगर खातेदार की भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता, यह तथ्य गलत है कि शमशान में आने जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 1075 में प्रविष्ट होना पड़ता है, आराजी खसरा नम्बर 1075 अप्रार्थीगण की खातेदारी का है, जिसमें होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, उक्त संपूर्ण खसरा नम्बर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बाटौदा के यहां रहने होने के कारण बैंक भी आवश्यक पक्षकार है, जिसके अभाव में भी प्रार्थीगण का प्रार्थना


उपखण्ड अधिकारी
बामनदास

पत्र चलने योग्य नहीं है, प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया गया होना बताते हुए उसे खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रार्थीगण आम जनता की ओर से दिए गए जवाब में इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र केवल दावे में ही पेश किया जा सकता है, समरी प्रोसीडिंग्स के मामलों में इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता तथा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनी गई, दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने अभिवचनों के अनुरूप ही बहस की गई है । पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह तथ्य सही है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) (1) राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है जो मामला समरी प्रोसीडिंग्स का है, किन्तु आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. यह प्रावधित करता है कि यदि कोई मामला प्रारम्भिक स्तर पर ही विधि विरुद्ध होना पाया जाता है तो उसमें किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स विस्तार से न कर तुरन्त ही ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाना चाहिए । धारा 251 (क) (1) राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए यदि कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो वह


उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

अन्य खातेदार की भूमि में होकर अपनी भूमि में होकर आने जाने की माँग ऐसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से कर सकता है, अर्थात् धारा 251 (क) (1) राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने वाला पक्षकार एक खातेदार होना चाहिए और इसके विरुद्ध न्यायालय में आने वाला पक्षकार भी खातेदार होना चाहिए, यही इस अधिनियम में प्रमुख बात देखे जाने योग्य है, जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी पक्ष एक खातेदार के रूप में सामने नहीं आया है, अपितु इस पक्ष ने आम जनता की ओर से शमशान भूमि में आने जाने के लिए किसी दूसरे खातेदार की जमीन होकर आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है, जो प्रार्थना धारा 251 (क) (1) राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाई जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पक्ष की ओर से धारा 251 (क) (1) राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य दिखाई नहीं देता है, अतः अप्रार्थीगण रामेश्वर आदि की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी पक्ष (आम जनता, ग्राम बाटौदा) की ओर से धारा 251 (क) (1) राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही उसके गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना खारिज किया जाता है । प्रकरण फैसला

24
उपसुब्ब अधिकारी
बामनवास

शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

²
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(रतन लाल योगी)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 03/6/2022 को लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया ।

²
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(रतन लाल योगी)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास